[2018] 12 एस.सी.आर. 1085

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं एक अन्य

बनाम

ह्युंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

(2018 की दीवानी अपील संख्या 8146)

21 अगस्त, 2018

[दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश, ए.एम. खानविलकर तथा डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 – धारा 11(4) तथा धारा 11(6) – मध्यस्थता उपबंध – परीक्षण – उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा एक संयुक्त उपक्रम (सं.उ), जिसका गठन उत्तरदाता संख्या 1 और 2 द्वारा किया गया था, को पुल के बनावट, निर्माण एवं अनुरक्षण का ठेका प्रदान किया गया – कार्य प्रारंभ होने के बाद, पूरे प्रोजेक्ट को समाहित करते हुए अपीलकर्ता-बीमाकर्ता से एक बीमा पॉलिसी प्राप्त की गई – निर्माण के दौरान एक दुर्घटना हुई, जिससे ठेकेदार को भारी क्षति हुई – सं.उ. द्वारा अपीलकर्ताओं के समक्ष एक निश्चित राशि का विस्तृत दावा प्रस्तुत किया गया – अपीलकर्ताओं ने उक्त दावे को देय नही पाया – पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ – उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा 11(4) तथा 11(6) के अंतर्गत एक याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया – अपील पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमा पॉलिसी का संबंधित उपबंध 7 एक पूर्व शर्त से युक्त है, जिसके अनुसार यदि अपीलकर्ता पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित अपनी देयता को विवादित करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं, तो कोई भी मतभेद या विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता – मध्यस्थता उपबंध की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए और ऐसा मध्यस्थता उपबंध तभी सक्रिय या प्रवर्तित होगा, जब पक्षकारों के बीच विवाद

केवल पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि तक सीमित हो तथा बीमाकर्ता द्वारा देयता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हो – यही मध्यस्थता उपबंध को प्रवर्तित करने की पूर्व शर्त तथा अनिवार्य तत्व है – तथ्यात्मक स्थिति में, अपीलकर्ताओं ने सं.उ. को भेजे गए संप्रेषण में अपनी देयता को पूर्णतः नकार दिया और दावे को अस्वीकार कर दिया – अतः विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है।

अपील स्वीकार करते हुए,

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1. मध्यस्थता उपबंध की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए। संबंधित उपबंध 7 मंशा की एक सशर्त अभिव्यक्ति है। ऐसा मध्यस्थता उपबंध तभी सक्रिय या प्रवर्तित होगा, जब पक्षकारों के बीच विवाद केवल पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि तक सीमित हो। बीमाकर्ता द्वारा देयता को स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। यही मध्यस्थता उपबंध को प्रवर्तित करने की पूर्व शर्त तथा *अनिवार्य तत्व* है। दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता उपबंध तभी प्रभावी होगा, जब बीमाकर्ता संबंधित पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित अपनी देयता को स्वीकार करे। यह बात उपबंध 7 के प्रारंभिक भाग तथा उसी उपबंध के दूसरे उपबंध में स्पष्ट रूप से निहित है। अतः उन वादों में मध्यस्थता नहीं हो सकती, जहाँ बीमा कंपनी पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित देयता को विवादित करती है या स्वीकार नहीं करती। [कंडिका 13] [1098-सी-ई]

2. अपीलकर्ताओं ने सं.उ. (उत्तरदाता संख्या 1 और 2) के दावे को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए अपनी देयता से इंकार कर दिया। उनके द्वारा भेजे गए संप्रेषणों में उल्लिखित कारण स्पष्ट और विशिष्ट हैं। उत्तरदाताओं द्वारा यह कोई तर्क नहीं उठाया गया कि पॉलिसी या उक्त उपबंध 7 शून्य है। अपीलकर्ताओं ने संबंधित पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित अपनी देयता को पूरी तरह से नकारते हुए सं.उ. के दावे को अस्वीकार कर दिया। यह ऐसा वाद नहीं था, जिसमें केवल

पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि को लेकर विवाद हो, जिसे उपबंध *7* के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता था। अतः अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया तर्क उनकी देयता से इंकार का है, जो अपवाद श्रेणी में आता है, जिससे मध्यस्थता उपबंध अप्रभावी तथा प्रवर्तनीय न रह जाने योग्य हो जाता है, यदि पूर्णतः अस्तित्वहीन न भी माना जाए। यह मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं का वादों उपबंध *7* के प्रारंभिक भाग तथा उसी उपबंध के दूसरे कंडिका में पुनः उल्लिखित अपवाद श्रेणी एवं गैर-मध्यस्थता योग्य विषय से संबंधित है। अतः विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है और उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2 को वाद का उपाय अपनाना चाहिए था। [कंडिका 14 एवं 15] [1099-सी-एफ]

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरभेराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड **(2018) 6 एससीसी 534 – अवलंबित।**

इ्यूरो फेलगुएरा, एस.ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड **(2017) 9 एससीसी 729**; *जम्बो बैग्स लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,* **2016 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 9141 ;** *यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ह्युंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ; वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम महाराज सिंह एवं एक अन्य* **(1976) 1 एससीसी 943 : [1976] 2 एससीआर 62 – संदर्भित।**

<u>नज़ीर संदर्भ</u>

(2017) 9 एससीसी 729	**संदर्भित**	**कंडिका 1**
(2018) 6 एससीसी 534	**अवलंबित**	**कंडिका 12**

[1976] 2 एससीआर 62 संदर्भित कंडिका 11

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2018 की दीवानी अपील संख्या 8146

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की ओ.पी. संख्या 537 में पारित दिनांक 30.11.2017 के निर्णय एवं आदेश से।

पी. पी. मल्होत्रा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता; मोहित पॉल, विनीत मल्होत्रा, यासिर रऊफ, विशाल गोहरी, अनुग्रह नीरज एक्का, शुभेंदु कौशिक, अनीश मित्तल, सुश्री श्रेया शर्मा, सुश्री अनुपमा कौल, एस. रवि शंकर, सुश्री यमुना नचियार, सुश्री भानु कपूर — उपस्थित पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय,

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर द्वारा दिया गया। 1. इस अपील में मुख्य प्रश्न यह है कि संबंधित बीमा पॉलिसी दिनांक 5 सितंबर 2007 की कंडिका 7 क्या मध्यस्थता के आशय की स्पष्ट और निर्विवाद अभिव्यक्ति करती है अथवा वह किसी शर्त से आबद्ध है। मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने ओ.पी. संख्या 537/2017 में दिनांक 30 नवंबर 2017 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा यह माना कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1966 (संक्षेप में "**अधिनियम**") में 23 अक्टूबर 2015 से धारा 11 में उपधारा (6 क) जोड़े जाने के पश्चात, न्यायालय का सीमित दायित्व केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करना है —न इससे अधिक और न इससे कम। एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय की द्वि-न्यायाधीश पीठ के निर्णय ***इयूरो फेलगुएरा, एस.ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड***[1] तथा अपने ही उच्च न्यायालय के निर्णय ***जम्बो बैग्स लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड***[2] पर

---

1 (2017) 9 एससीसी 729

2 2016 एससीसी ऑनलाइन मैड 9141 : (2016) 3 सीटीसी 761 : (2016) 2 एल डब्लयू 769

अवलंबन किया। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ के निर्णय ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरभेराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड***[3] पर अवलंबन किया, जिसमें इस न्यायालय को वर्तमान वाद जैसी ही बीमा पॉलिसी की समान कंडिका की व्याख्या करने का अवसर मिला था। इस निर्णय के आधार पर यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित निर्णय स्वीकार्य नहीं है और उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 11(4) एवं 11(6) सहपठित मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की योजना, 1996 के नियम 2 के अंतर्गत उत्तरदाताओं द्वारा दायर मूल याचिका को खारिज कर देना चाहिए था—जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा नामित मध्यस्थ को एकमात्र मध्यस्थ घोषित करने अथवा वैकल्पिक रूप से अपीलकर्ताओं की ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त कर पक्षकारों *के बीच* सभी विवादों का अधिनियम के अनुसार निपटारा करने का आग्रह किया गया था।

2. अनावश्यक तथ्यों को अलग रखते हुए यह उल्लेखनीय है कि उत्तरदाता संख्या 1 और 2 एक संयुक्त उपक्रम ("सं.उ.") का गठन करते हैं। उत्तरदाता संख्या 3 ने 29 सितंबर 2006 को चंबल नदी पर पुल के बनावट, निर्माण और रखरखाव का अनुबंध प्रदान किया, जिसे 40 महीनों की अवधि में पूरा किया जाना था और स्थल सौंपे जाने के पश्चात 5 दिसंबर 2007 को सं.उ. द्वारा कार्य आरंभ किया गया। कार्य आरंभ होने के बाद, अपीलकर्ताओं से 5 दिसंबर 2007 की ठेकेदार सर्व-जोखिम बीमा पॉलिसी ("सीएआर पॉलिसी") प्राप्त की गई, जो पूरे परियोजना को समाहित करती थी और जिसकी मूल्यांकन राशि 2,13,58,76,000/- रुपये थी। पॉलिसी में कंडिका 7 निम्नलिखित है:

> "7. यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के परिमाण के संबंध में कोई अंतर उत्पन्न होता है **(जबकि दायित्व अन्यथा स्वीकार किया गया हो)**, तो ऐसा अंतर अन्य सभी प्रश्नों से स्वतंत्र रूप से उन पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में नियुक्त एक

3 (2018) 6 एससीसी 534

मध्यस्थ के निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा; और यदि वे एकल मध्यस्थ पर सहमत न हो सकें, तो दो निष्पक्ष व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को दोनों पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि एक पक्ष द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किए जाने के दो कैलेंडर महीनों के भीतर नियुक्ति की जाए—यह सब समय-समय पर संशोधित और वर्तमान में प्रवर्तित मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अनुसार होगा। यदि कोई पक्ष लिखित सूचना प्राप्त होने के दो कैलेंडर महीनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने से इंकार करता है या विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष एकल मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा; और यदि मध्यस्थों के बीच मतभेद हो, तो वह अंतर उनके द्वारा संदर्भ में प्रवेश करने से पूर्व लिखित रूप में नियुक्त एक अम्पायर के निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा, जो मध्यस्थों के साथ बैठकर उनकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

यह स्पष्ट रूप से सहमति एवं समझ बनाई जाती है कि यदि कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत या इसके संबंध में अपने दायित्व को आक्षेपित करती है अथवा स्वीकार नहीं करती है, तो उपरोक्त रूप से प्रावधानित किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर या आक्षेप मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा।

यहाँ यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित और घोषित किया जाता है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी अधिकार के प्रवर्तन या वाद/दावा दायर करने से पूर्व यह एक पूर्व शर्त होगी कि ऐसे मध्यस्थ, मध्यस्थों अथवा अंपायर द्वारा हानि या क्षति की राशि का निर्धारण करने वाला पंचाट पहले प्राप्त किया जाए।

> यह भी आगे स्पष्ट रूप से सहमति एवं घोषणा की जाती है कि यदि कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दावे के संबंध में बीमाधारक के प्रति अपने दायित्व से इंकार करती है और ऐसा दावा, ऐसे इंकार की तिथि से तीन कैलेंडर महीनों के भीतर किसी सक्षम विधि न्यायालय में वाद का विषय नहीं बनाया जाता है, तो ऐसा दावा सभी प्रयोजनों के लिए परित्यक्त माना जाएगा और उसके पश्चात इस पॉलिसी के अंतर्गत वसूल योग्य नहीं रहेगा।
>
> (जोर दिया गया)

3. पुल के निर्माण के दौरान, 24 दिसंबर 2009 को एक दुर्घटना हुई, जिससे ठेकेदार को भारी क्षति हुई। संयुक्त उपक्रम द्वारा अपीलकर्ताओं के समक्ष 1,51,59,94,543 रुपये की राशि का विस्तृत दावा प्रस्तुत किया गया। इसके प्रत्युत्तर में अपीलकर्ताओं ने ठेकेदार को हुई क्षति के आकलन हेतु श्री एस. अनंतपद्मनाभन को, जो एक अधिकृत सर्वेयर एवं हानि निर्धारक थे, नियुक्त किया। सर्वेयर द्वारा 28 फरवरी 2011 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें क्षति का आकलन 39,09,92,828 रुपये किया गया, किंतु यह निष्कर्ष भी दिया गया कि क्षति दोषपूर्ण बनावट तथा परियोजना के अनुचित निष्पादन के कारण हुई थी और पॉलिसी के अंतर्गत देय नहीं थी। उक्त प्रतिवेदन के अतिरिक्त, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसने दुर्घटना की जांच की और 7 अगस्त 2010 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

4. अपीलकर्ताओं ने इन दोनों प्रतिवेदनों पर विचार किया और दिनांक 21 अप्रैल 2011 के पत्र द्वारा उत्तरदाताओं को सूचित किया कि संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रस्तुत दावा देय नहीं पाया गया है और तदनुसार उसे अस्वीकृत किया जाता है। उक्त पत्र इस प्रकार है:

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

मण्डलीय कार्यालय: 010700 पोस्ट बॉक्स संख्या 4528

प्रथम तल, सिलिंगी बिल्डिंग, ग्राम अंडिवसेवन

134, ग्रीम्स रोड फोन: 28290845/846

चेन्नई – 600006 टेलीफैक्स: 044-28290844

संदर्भ: 010700/सीएआर दावा/2011 21 अप्रैल 2011

पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्ति स्वीकृति सहित

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

1-सी-10 एसएफएस कॉलोनी

तलवंडी, कोटा

राजस्थान – 324005

महोदय गण,

कृपया ध्यान दें: श्री अनूप कुलश्रेष्ठ, परियोजना निदेशक

विषय: ठेकेदार सर्व-जोखिम बीमा पॉलिसी संख्या 011900/44/07/03/60000001 के अंतर्गत दावा – हमारा दावा संख्या 010703/44/09/03/90000007 – कोटा, राजस्थान में केबल-स्टे पुल का ध्वंस।

उपरोक्त संदर्भित उस दावे के संबंध में, जो 24.12.2009 को निर्माणाधीन पुल के एक भाग के ध्वंस के कारण आपकी ओर से प्रस्तुत किया गया था,

यह सूचित किया जाता है कि घटना की सूचना प्राप्त होते ही हमारी कंपनी ने बीमा अधिनियम के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण हेतु श्री एस. अनंत पद्मनाभन, जो विधिवत अनुज्ञप्ति प्राप्त एवं अनुभवी सिविल इंजीनियर सर्वेयर हैं, को नियुक्त किया था। सर्वेयर ने विभिन्न अवसरों पर स्थल

का निरीक्षण किया तथा आपसे निरंतर संपर्क एवं पत्राचार किया, जिसके दौरान विभिन्न विवरण, सूचनाएँ एवं अभिलेख प्राप्त किए गए। आपके साथ की गई पूछताछ के अतिरिक्त, सर्वेयर ने सरकार, पुलिस प्राधिकरण सहित अन्य एजेंसियों से भी जानकारी प्राप्त की और उनके प्रतिवेदन एकत्र किए। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत, सर्वेयर ने 28.02.2011 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सर्वे प्रतिवेदन के अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि उक्त घटना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति की जांच का विषय थी, जिसने 07.08.2010 को अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

यह पाया गया कि पार्श्व स्पैन पी 3–पी 4, पी 4 पाइलन तथा मुख्य स्पैन संरचनाएँ एस 1 से एस 10 तक ध्वस्त हो गईं और नदी में गिर गईं।

अभिलेखों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि ध्वस्त हुआ भाग पूर्णतः दोषपूर्ण बनावट, कार्य निष्पादन में त्रुटिपूर्ण कारीगरी एवं सामग्री के कारण प्रभावित हुआ। कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख इस प्रकार है—

परियोजना के निष्पादन में यह पाया गया कि पाइलन पी 4 का जंक्शन अत्यंत संवेदनशील एवं कमजोर था, जिसे अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता के साथ संभालना आवश्यक था। पी 4 जंक्शन से लगभग 15 मीटर दूरी पर पी 3–पी 4 पार्श्व स्पैन में स्लैब के कटाव के कारण अस्थिर संतुलन उत्पन्न हुआ, जिससे पाइलन झुक गया और उसके साथ पी 3–पी 4, पी 3–पी 2 स्पैन तथा पी 3, पी 4 पियर भी खिंच गए। पी 4 पर बेयरिंग्स की गति को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रतिबंधों को उपयुक्त ढंग से हटाया नहीं गया, जिससे व्यापक विफलता हुई। विभिन्न परामर्शदाताओं के बीच समन्वय एवं योजना का अभाव तथा निष्पादन की समुचित निगरानी न होना भी पाया गया।

संयुक्त उपक्रम भागीदारों के बीच कार्य आवंटन में परिवर्तन भी हुआ, जिसने कार्य की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि प्रभावित पी 4 स्थल पर पियर पी 4 का निर्माण हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी था, किंतु वह गमॉन इंडिया द्वारा किया गया पाया गया।

निर्माण कार्य में समय की क्षति की पूर्ति हेतु संचालन क्रम में भी परिवर्तन किया गया, जिसने पी 4 जंक्शन की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

जांच समिति के निष्कर्षों का सार यह है कि ध्वंस मुख्यतः (i) निर्माण के दौरान स्थिरता उपकरणों के अभाव, (ii) बनावट में कमी तथा (iii) त्रुटिपूर्ण कारीगरी के कारण हुआ।

जांच समिति ने विशेष रूप से यह भी अभिलक्षित किया कि—

(क) ठेकेदार आंशिक रूप से पूर्ण संरचना की स्थिरता एवं सुदृढ़ता के संबंध में पर्याप्त सावधानियां अपनाए बिना संरचना को कमजोर अवस्था तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायी हैं तथा बनावट में कमी भी विद्यमान थी।

(ख) चूँकि बनावट में भी कमी पाई गई, इसलिए उसके लिए भी उत्तरदायित्व निर्धारित होता है।

उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि क्षति दोषपूर्ण बनावट एवं त्रुटिपूर्ण कारीगरी के कारण हुई।

यह भी पाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ठेकेदारों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रारंभ की है।

कोटा पुलिस द्वारा भी ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के विभिन्न कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जो उपरोक्त निष्कर्षों का समर्थन करता है। पॉलिसी ऐसे परिस्थितियों में हुई क्षति को समाहित नहीं करती है। वास्तव में, पॉलिसी में दोषपूर्ण बनावट, त्रुटिपूर्ण कारीगरी/सामग्री से उत्पन्न किसी भी प्रकार की हानि/क्षति को विशेष रूप से

अपवर्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ निकाय तथा सर्वेयर के निष्कर्ष यह भी संकेत करते हैं कि कार्य निष्पादन में जानबूझकर किए गए कृत्य/लापरवाही के कारण ऐसी घटना घटी।

उपरोक्त के आलोक में, हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि दावा देय नहीं पाया गया है और तदनुसार उसे अस्वीकृत किया जाता है।

बीमाकर्ता उपरोक्त निष्कर्ष के समर्थन में किसी भी अन्य अथवा अतिरिक्त सामग्री/शर्तों पर निर्भर रहने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं और उपरोक्त परिस्थितियां इस निर्णय के आधार का संपूर्ण विवरण नहीं हैं।

धन्यवाद।

भवदीय,

हस्ताक्षरित

वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. मेसर्स हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एवं गैमन इंडिया लिमिटेड, चंबल पुल परियोजना, तिलम संघ के पीछे, रावतभाटा रोड, कोटा, राजस्थान–324010।

2. क्षेत्रीय कार्यालय – तकनीकी – इंजीनियरिंग विभाग।

3. प्रधान कार्यालय – तकनीकी – इंजीनियरिंग विभाग।

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 24, व्हाइट्स रोड,

चेन्नई – 600014।

(जोर दिया गया)

5. तथापि, सं.ऊ. ने दावे की अस्वीकृति के निर्णय को पुनः खोलने और पुनर्मूल्यांकन हेतु अपीलकर्ताओं के साथ पत्राचार किया। अंततः, अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को सूचित किया कि वह पहले से अस्वीकृत दावे पर "पुनर्विचार" करने में असमर्थ हैं। उक्त पत्र इस प्रकार है:

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई

सीआईएन : यू93090 टीएन 1938 जीओआई 000108

संदर्भ संख्या : यूआईआईसी/इंजी/दावा/17-18/01 दिनांक : 17.04.2017

सेवा में,

श्री अनुपम गुप्ता

परियोजना निदेशक

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

ए–575, तलवंडी, कोटा (राजस्थान)–324005

विषय : सीएआर बीमा पॉलिसी

संख्या 011900/44/07/03/60000001।

ठेकेदार के दावा संख्या 010703/44/096/03/90000007 का निपटान।

महोदय,

आपके पत्र संदर्भ संख्या 17011/27/2006–कोटा/सीएआर/आरजे–05/3909 दिनांक 18.01.2017 तथा ठेकेदार के पत्र संदर्भ संख्या एचजेड–6718 दिनांक 04.02.2017, एवं हमारे

चेन्नई कार्यालय में आयोजित पश्चातवर्ती बैठक के संदर्भ में। प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण से यह पाया गया है कि दावे के समर्थन में कोई नया बिंदु उभरकर सामने नहीं आया है।

उपरोक्त के आलोक में, हमें पहले से अस्वीकृत दावे पर पुनर्विचार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करनी पड़ रही है।

भवदीय,

(डी. नागलक्ष्मी)

उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि :

श्री हेंग क्वोन कांग

मुख्य परियोजना प्रबंधक

ह्युंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

चंबल पुल परियोजना, तिलम संघ के पीछे

रावतभाटा रोड, कोटा, राजस्थान – 324010

(जोर दिया गया)

6. इसके परिणामस्वरूप, सं.उ. ने अपने पत्र दिनांक 29 मई 2017 द्वारा अपीलकर्ताओं को सूचित किया कि अपीलकर्ताओं एवं सं.उ. के मध्य आक्षेप उत्पन्न हो गए हैं और इस आधार पर उसने बीमा पॉलिसी में निहित मध्यस्थता कंडिका संख्या 7 को लागू किया है तथा डॉ. वी.के. अग्रवाल को अपना मध्यस्थ नामित किया है। अपीलकर्ताओं को यह भी कहा गया कि वे या तो एकमात्र मध्यस्थ के नाम को स्वीकार करें अथवा उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपना मध्यस्थ नामित करें। अंततः, उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2 ने अधिनियम की

धारा 11(4) एवं 11(6) के अंतर्गत मद्रास उच्च न्यायालय में ओ.पी. संख्या 537/2017 के रूप में याचिका दायर की।

7. उक्त याचिका का अपीलकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। यह प्रतिपादित किया गया कि पॉलिसी की कंडिका 7 एक पूर्व शर्त से आबद्ध है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि यदि अपीलकर्ता पॉलिसी के अंतर्गत या उसके संबंध में अपने दायित्व को आक्षेपित करते हैं अथवा स्वीकार नहीं करते हैं, तो कोई भी अंतर या आक्षेप मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं द्वारा दावे की अस्वीकृति की स्थिति में बीमाधारक का उपाय यह था कि वह ऐसे अस्वीकरण की तिथि से तीन महीनों के भीतर वाद दायर करे। यह कहा गया कि अपीलकर्ताओं ने 21 अप्रैल 2011 के पत्र द्वारा अपने दायित्व की अस्वीकृति कर दी थी, जो निर्विवाद तथ्य है। 17 अप्रैल 2017 का पत्र मात्र पूर्व में 21 अप्रैल 2011 को संप्रेषित अस्वीकृति की पुनरावृत्ति एवं पुष्टि था। यह विशेष रूप से नकारा गया कि 17 अप्रैल 2017 का पत्र, जैसा कि आवेदकों (उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2) ने आरोपित किया है, सीमा-निर्धारण की गणना के प्रयोजन से अंतिम अस्वीकृति है। यह भी कहा गया कि उठाया गया आक्षेप पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि से संबंधित नहीं है, बल्कि इस तथ्य से संबंधित है कि कथित हानि पॉलिसी के अंतर्गत समाहित नहीं है, जिसके कारण समझौता विशेष रूप से मध्यस्थता के संदर्भ को अपवर्जित करता है।

8. अपीलकर्ताओं के इस रुख के बावजूद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2 की याचिका स्वीकार कर ली और श्री न्यायमूर्ति पी. ज्योति मणि, पूर्व न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय को इस वादों में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। यह मत व्यक्त किया गया कि बीमा पॉलिसी की कंडिका 7 के रूप में मध्यस्थता

समझौता विद्यमान है, मुख्यतः ***इयूरो फेलगुएरा*** (उपरोक्त) तथा ***जम्बो बैग्स लिमिटेड*** (उपरोक्त) के निर्णयों पर निर्भर करते हुए।

9. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.पी. मल्होत्रा तथा उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को सुना।

10. बीमा पॉलिसी की विषयवस्तु कंडिका 7 के समान कंडिका इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** (उपरोक्त) वादों में विचारार्थ आई थी। ***जम्बो बैग्स लिमिटेड*** (उपरोक्त) सहित अनेक निर्णयों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने के पश्चात, न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

> "23. इसमें किसी विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यस्थता कंडिका का कठोरता से निर्वचन किया जाना आवश्यक है। कंडिका में प्रयुक्त प्रत्येक अभिव्यक्ति को मध्यस्थता की मंशा को स्पष्ट और निर्विवाद रूप से व्यक्त करना चाहिए। **यह यह भी निर्धारित कर सकती है कि किन परिस्थितियों में मध्यस्थता कंडिका प्रभावी नहीं होगी। यदि कोई कंडिका यह उपबंध करती है कि कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थता नहीं होगी और वे परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हैं, तो मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित आक्षेप को वहीं समाप्त कर दिया जाना चाहिए।**
>
> 24. वर्तमान वाद में, कंडिका 13 स्पष्ट रूप से यह उपबंध करती है कि यदि बीमाकर्ता ने अपने दायित्व को आक्षेपित किया है अथवा स्वीकार नहीं किया है, तो कोई भी अंतर या आक्षेप मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा...."
>
> (जोर दिया गया)

जम्बो बैग्स लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णय की कंडिका 28 तथा 32 में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "19. हम इस समय मद्रास उच्च न्यायालय के जम्बो बैग्स लिमिटेड के निर्णय का संदर्भ ले सकते हैं। उक्त वादों में माननीय मुख्य न्यायाधीश बीमा पॉलिसी की शर्तों की कंडिका 13 का निर्वचन कर रहे थे। वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निर्णय का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा: (जम्बो बैग्स लिमिटेड प्रकरण, एसएससी ऑनलाइन मद्रास, कंडिका 28)
>
> '28. ... जो आक्षेप मध्यस्थता के लिए संदर्भणीय नहीं है, क्योंकि वह कंडिका के अंतर्गत समाहित नहीं है, वह मध्यस्थता के विषय-वस्तु के अंतर्गत नहीं आ सकता और ऐसे वादों में बीमाधारक का उपाय केवल दीवानी वाद संस्थित करना ही है।'

और पुनः : (एसएससी ऑनलाइन मद्रास, कंडिका 32)

> '32. मेरा यह मत है कि जहां दावा पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया गया हो, वहाँ मध्यस्थता कंडिका द्वारा विवादों के निस्तारण का माध्यम विशेष रूप से अपवर्जित होने के कारण याचिकाकर्ता को मध्यस्थता का उपाय उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विधि के अनुसार केवल दीवानी वाद का ही उपाय उपलब्ध होगा।'
>
> **हम उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं।"** (जोर दिया गया)

11. उच्च न्यायालय तथा उत्तरदाताओं द्वारा अत्यधिक निर्भर किया गया अन्य निर्णय, ***इयूरो फेलगुएरा*** (उपरोक्त), किसी सहायता का नहीं है। प्रथम, क्योंकि वह द्वि-न्यायाधीश पीठ का निर्णय है, और द्वितीय, क्योंकि उस वाद में वर्तमान प्रकरण में उत्पन्न प्रश्न पर, अर्थात

विषयवस्तु बीमा पॉलिसी की कंडिका 7 के संदर्भ में, विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। उस निर्णय में संशोधित प्रावधान के प्रभाव पर सामान्य टिप्पणियाँ की गई हैं, न कि इस वादों में विचाराधीन विशिष्ट प्रश्न पर। वर्तमान में विचाराधीन प्रश्न का प्रत्यक्ष निराकरण इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** (उपरोक्त) के वाद में किया जा चुका है, जिसमें ***वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम महाराज सिंह एवं एक अन्य***[4] (उपरोक्त) के निर्णय का अनुसरण किया गया था। वह भी तीन-न्यायाधीश पीठ का निर्णय है, जिसमें बीमा पॉलिसी की विषयवस्तु कंडिका 7 के समान कंडिका का निर्वचन किया गया था।

वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के कंडिका 11 एवं 12 में न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:

> "11. यद्यपि सर्वेयरों ने अपने पत्र दिनांक 26 अप्रैल 1963 में उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा कथित रूप से उठाए गए किसी हानि या क्षति की राशि के संबंध में आक्षेप व्यक्त किया था, तथापि अपीलकर्ता कंपनी ने किसी भी समय ऐसा कोई आक्षेप नहीं उठाया। **अपीलकर्ता कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 5 जुलाई तथा 29 जुलाई 1963 द्वारा दावे को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। कंडिका 13 के अंतर्गत कंपनी को दावे की अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था और न ही उसने ऐसा किया। परंतु दावे की अस्वीकृति को किसी हानि या क्षति की राशि के संबंध में आक्षेप उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता। यदि बीमाधारक द्वारा किया गया दावा इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता कि उसे आग के कारण कोई हानि नहीं हुई या हानि की राशि उसके द्वारा दावा की गई राशि के बराबर नहीं है, तभी और केवल तभी कंडिका 18 के अर्थ में हानि या क्षति की राशि के संबंध में आक्षेप उत्पन्न हो सकता था।** परंतु वर्तमान वाद में कंपनी ने उत्तरदाता संख्या 1

4 (1976) 1 एस सी सी 943

द्वारा दावा की गई किसी भी राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व को ही अस्वीकार कर दिया। अन्य शब्दों में, कंपनी द्वारा उठाया गया आक्षेप किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान करने के दायित्व से संबंधित था। अतः हमारे मत में अपीलकर्ता कंपनी द्वारा उठाया गया आक्षेप मध्यस्थता कंडिका के अंतर्गत नहीं आता।"

12. **कंडिका 13 के अनुसार, कंपनी द्वारा दावे की अस्वीकृति किए जाने पर 'कार्यवाही या वाद', अर्थात एक विधिक कार्यवाही — जो भारत में प्रायः दीवानी वाद के रूप में होती है — को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से तीन माह के भीतर प्रारंभ किया जाना आवश्यक है; अन्यथा पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ जब्त माने जाएंगे।** दावे की अस्वीकृति कंडिका 13 के प्रथम भाग में उल्लिखित कारणों, जैसे मिथ्या घोषणा, धोखाधड़ी या दावेदार की जानबूझकर की गई लापरवाही, अथवा किसी अन्य उद्घाटित या अनुद्घाटित कारण के आधार पर हो सकती है। किंतु जैसे ही दावे की अस्वीकृति हो जाती है और हानि या क्षति की राशि के संबंध में कोई आक्षेप नहीं उठता, दावेदार के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय विधिक कार्यवाही, अर्थात दीवानी वाद, प्रारंभ करना ही रह जाता है, जिससे कंपनी के दायित्व की स्थापना हो सके। यह संभव है कि ऐसे वाद में कंपनी का दायित्व स्थापित हो जाने के पश्चात हानि या क्षति की राशि के निर्धारण हेतु कंडिका 18 के अनुसार मध्यस्थता का सहारा लिया जाए। **परंतु मध्यस्थता कंडिका, जो 'यदि किसी हानि या क्षति की राशि के संबंध में कोई आक्षेप उत्पन्न हो' जैसे शब्दों तक सीमित है, अपने क्षेत्र में उस आक्षेप को सम्मिलित नहीं कर सकती जो कंपनी के उस**

दायित्व से संबंधित हो, जिसमें वह किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान करने से पूर्णतः इंकार कर देती है।"

(जोर दिया गया)

पुनः, कंडिका 22 में, संबंधित न्यायिक दृष्टांतों का विश्लेषण करने के पश्चात, न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

"22. प्रकरणों की दोनों धाराएँ विधि में दो पृथक स्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। स्कॉट बनाम एवरी जैसे प्रकरण की कंडिका किसी भी ऐसी कार्यवाही या वाद को प्रतिबंधित करती है, जो मध्यस्थता कंडिका के अंतर्गत समाहित आक्षेप के निर्धारण हेतु प्रारंभ किया गया हो। **किंतु यदि दूसरी ओर, प्रारंभ से ही ऐसा आक्षेप उत्पन्न हो जाए जो मध्यस्थता के लिए संदर्भणीय न हो क्योंकि वह कंडिका के अंतर्गत आच्छादित नहीं है, तो स्कॉट बनाम एवरी प्रकार की कंडिका अप्रभावी हो जाती है और उसे ऐसे विधिक वाद या कार्यवाही की ग्राह्यता के विरुद्ध अवरोध के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जो मध्यस्थता कंडिका के बाहर स्थित आक्षेप के निर्धारण हेतु संस्थित की गई हो।"**

(जोर दिया गया)

13. न्यायिक प्राधिकारों की उक्त श्रृंखला से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता कंडिका का कठोरता से निर्वचन किया जाना आवश्यक है। विषयवस्तु कंडिका 7, जो ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** (उपरोक्त) में तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा विचाराधीन पॉलिसी की कंडिका 13 के समान है, अभिप्राय की एक सशर्त अभिव्यक्ति है। ऐसी मध्यस्थता कंडिका तभी सक्रिय या प्रज्वलित होती है, जब पक्षकारों के मध्य आक्षेप केवल पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि तक सीमित हो। बीमाकर्ता द्वारा दायित्व का स्पष्ट और निर्विवाद स्वीकार किया जाना अनिवार्य है।

यही मध्यस्थता कंडिका को प्रवर्तित करने की पूर्व-शर्त तथा अनिवार्य तत्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो, मध्यस्थता कंडिका तभी प्रभावशील या सजीव होगी, जब बीमाकर्ता संबंधित पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित अपने दायित्व को स्वीकार या मान्य करे। यह तथ्य कंडिका 7 के प्रारंभिक भाग तथा उसी कंडिका के द्वितीय कंडिका में स्पष्ट रूप से निहित है। प्रारंभिक भाग में कहा गया है कि "(दायित्व अन्यथा स्वीकार किया गया हो) इस बात की पुनः पुष्टि और पुनरुक्ति द्वितीय कंडिका में निम्नलिखित शब्दों में की गई है:

> "यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा गया है कि यदि कंपनी ने इस पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित अपने दायित्व को विवादित किया हो या स्वीकार न किया हो, तो पूर्वोक्त रूप से कोई भी आक्षेप मध्यस्थता के लिए संदर्भणीय नहीं होगा।"

इस प्रकार समझे जाने पर, ऐसे वादों में जहाँ बीमा कंपनी पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित दायित्व को विवादित करती है या स्वीकार नहीं करती है, मध्यस्थता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

14. मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 21 अप्रैल 2011 को भेजा गया संप्रेषण पूर्णतः दायित्व के अस्वीकरण एवं नकार के अपवादित वर्ग में आता है, अथवा क्या उसका प्रभाव यह है कि बीमाकर्ता ने पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित दायित्व को स्वीकार कर लिया है और आक्षेप केवल राशि तक सीमित है। उच्च न्यायालय ने इस पहलू की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने मात्र पॉलिसी की कंडिका 7 को उद्धृत किया और ***इयूरो फेलगुएरा*** (उपरोक्त) के कथन के संदर्भ में यह मान लिया कि इस विषय में न्यायालय द्वारा कोई अन्य जांच नहीं की जा सकती। यह उक्त निर्णय, संशोधित प्रावधान तथा विशेष रूप से इस न्यायालय की तीन-

न्यायाधीश पीठ के ***वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** (उपरोक्त) और ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** (उपरोक्त) के निर्णयों का स्पष्ट दुरुपाठ और दुरुपयोग है।

15. दिनांक 21 अप्रैल 2011 के संप्रेषण की ओर पुनः दृष्टि डालने पर, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने सं.उ. (उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2) के दावे को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और अपने दायित्व से संपूर्णतः इनकार किया। इसके कारण संप्रेषण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। उत्तरदाताओं द्वारा यह कोई तर्क नहीं दिया गया कि पॉलिसी या उक्त कंडिका 7 शून्य है। अपीलकर्ताओं ने संयुक्त उपक्रम के दावे को अस्वीकार किया और विषयवस्तु पॉलिसी के अंतर्गत या उससे संबंधित अपने दायित्व से पूर्णतः इनकार किया। यह पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के आक्षेप का वादों नहीं था, जो अकेला ऐसा विषय है जिसे कंडिका 7 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता था। अतः अपीलकर्ताओं द्वारा लिया गया प्रतिवाद हानि की क्षतिपूर्ति के दायित्व के पूर्ण नकार का है, जो अपवादित वर्ग में आता है और जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता कंडिका अप्रभावी तथा प्रवर्तनीय होने में अक्षम, यदि अस्तित्वहीन नहीं, हो जाती है। वह मध्यस्थता के लिए संदर्भण को सक्रिय करने हेतु पर्याप्त नहीं है। अन्य शब्दों में, अपीलकर्ताओं का प्रतिवाद कंडिका 7 के प्रारंभिक भाग तथा उसी कंडिका के द्वितीय कंडिका में पुनः कथित अपवादित एवं गैर-मध्यस्थनीय विषय के अंतर्गत आता है।

16. उपरोक्त के आलोक में यह ठहराया जाना आवश्यक है कि विचाराधीन आक्षेप मध्यस्थनीय नहीं है और उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2 को दीवानी वाद का उपाय अपनाना चाहिए था। अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2017 के संप्रेषण में व्यक्त अंतिम अस्वीकरण के संबंध में उत्तरदाताओं का तर्क किसी सहायता का नहीं है। तथापि, क्या वह तथ्य दीवानी वाद संस्थित करने हेतु कारण-ए-दावा बन सकता है, यह प्रश्न उन कार्यवाहियों में विचारणीय रहेगा। इस विषय में हम किसी भी प्रकार की राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

17. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है, आक्षेपित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है तथा उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2 द्वारा दायर मूल याचिका संख्या 537/2017 को खारिज किया जाता है, इस स्वतंत्रता के साथ कि वे, यदि उचित समझें, तो अपनी शिकायतों के निवारण हेतु दीवानी वाद का सहारा ले सकते हैं। हम उक्त संभावित कार्यवाहियों में निर्णयार्थ विषयों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

18. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अंकित ज्ञान अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।